प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

5993-75 4.10.2016

पत्रांक–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.आर.यू. / 84डी–वॉ–2 / 2016–17 दिनांक ~~09.2016~~

विषय–प्रदेश के चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था एवं मानदेय के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2016–17 में प्रदेश के जनपदों की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित / संविदा / EMOC या LSAS प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनकॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये ही स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय सेवा एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ / शल्यक दोनों को ही अनुमन्य है।

1. <u>जनपद की उन एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये यह ऑन कॉल सुविधा</u> उपलब्ध कराई जा सकेगी –
   - किसी भी स्थिति में चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाई पर पूर्ण कालिक नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ तैनात / उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। यदि EMOC या LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हों तो जिला स्वास्थ्य समिति को अवगत कराकर उस इकाई के लिये कॉल व्यवस्था अनुमन्य करा ली जाये और EMOC या LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक को जिला महिला चिकित्सालय आदि क्रियाशील इकाइयों पर संबद्ध कर कौशल विकास किया जाये।
   - जिला चिकित्सालयों पर सीजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण ऑन कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं है अतः जनपद में प्राथमिकता पर जिला महिला चिकित्सालय पर नियमित विशेषज्ञों अथवा पूर्ण कालिक संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। जिला चिकित्सालयों पर कोई भी निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात / संबद्ध कर लिया जाये।
   - जहाँ एक मात्र विशेषज्ञ के आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित / मातृत्व / शिशु देखभाल / चिकित्सकीय अवकाश) पर जाने के कारण ई0एम0ओ0सी0 टीम अधूरी हो गई है। जो विशेषज्ञ बिना सूचना के गैर हाजिर हैं उनकी सूचना शासन को प्रेषित करने के पश्चात् ही वहाँ ऑन कॉल सेवायें ली जा सकती हैं।
   - जहाँ सीजेरियन ऑपरेशन का भार 100 केस प्रति माह से अधिक है एवं इकाई पर मात्र 1 निश्चेतक या शल्यक / गायनेकॉलजिस्ट तैनात है तो वहाँ कॉल व्यवस्था रिलीविंग में प्रयोग की जा सकती है।
   - इन कॉल्स का उपयोग आपातकालीन एवं एस0बी0आर0टी0 द्वारा नियोजित (Elective) सिजेरियन प्रसव के लिए दोनों परिस्थितियों में किया जा सकता है।

2. <u>राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–</u> राजकीय सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार बिन्दु–1 पर उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है–
   - जनपद / मण्डल स्तर पर प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 / एस0डी0एच0 में सीजेरियन ऑपरेशन की कॉल अनुमन्य होगी। यह जिला स्तरीय व ग्रामीण किसी भी एफ0आर0यू0 पर बिन्दु–1 पर उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन कॉल कर सकेंगे।

- जनपद में सभी एफ0आर0यू0 एवं नॉन एफ0आर0यू0 इकाइयों पर तैनात नियमित सेवा के निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट की सूची बना ली जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी इनको एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 क्रियाशील करायें। जो विशेषज्ञ दूसरी इकाइयों पर कॉल अटेंण्ड करने की सहमति दें उनको पैनल बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत कर लिया जाये।
- जिला स्तरीय चिकित्सालयों में प्रशासनिक पद पर तैनात एस0आई0सी0/सी0एम0एस0/एम0एस0 आदि को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी किन्तु वहाँ शल्यक/स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा निश्चेतक को किसी दूसरी इकाई के लिये यह सुविधा देय होगी किन्तु उन्हें इसकी अनुमति इकाई के प्रभारी अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करनी होगी। कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सीजेरियन प्रसव कर रहे हों।
- ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0 में तैनात विशेषज्ञ को कॉल हेतु जनपद स्तर पर उन्हीं विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है जब जनपद स्तर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, मुख्य चिकित्साधिकारी को कोई विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की लिखित सूचना दे और कॉल हेतु जाने वाले विशेषज्ञ को ऑन कॉल विशेषज्ञों की सूची में अधिकृत किया गया हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में तैनात विशेषज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0 पर कॉल अनुमन्य है। कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सीजेरियन प्रसव कर रहे हों।

3. <u>निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–</u> जनपद स्तर पर चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक) को सीजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार दी गयी है।
   - इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तद्पश्चात उनकी सूची को इम्पैनल कर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाय। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाय।
   - ऑनकॉल चिकित्सकों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल एवं प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान किया जाये।
   - जनपद में पूर्ण कालिक नियमित अथवा संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को, जो जटिल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव में कुशल हो, सूचीबद्ध कर सेवाएं ली जा सकती हैं। यदि किसी इकाई पर ऑन कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराता है तो उसे प्रति सिजेरियन धनराशि देय होगी परन्तु उन्हें टी0ए0 एक ही देय होगा।
   - किसी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।

4. <u>वित्तीय व्यवस्था–</u>
   - इन कॉल्स का उपयोग सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 1 सीजेरियन प्रसव के लिये 1 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट) की कॉल अनुमन्य होगी जिससे ई0एम0ओ0सी0 टीम का पूर्णकालिक विशेषज्ञ पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर सके।

- जनपद स्तर की इकाइयों पर निजी क्षेत्र के शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट को रू0–4000.00 प्रति सीजेरियन एवं निजी क्षेत्र के निश्चेतक को रू0–2500.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ साथ नियत रू0–1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
- राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक विशेषज्ञों को रू0–2500.00 प्रति सीजेरियन देय होगा। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ साथ नियत रू0–1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
- यदि कोई विशेषज्ञ एक ग्रामीण क्षेत्र की क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर कार्यरत है और दूसरी ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर कॉल के लिये जाता है तो भी उसे यह यात्रा भत्ता देय होगा।
- राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/स्त्री रोग विशेषज्ञ/निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये वर्ष 2016–17 के लिये **एफ0एम0आर0 कोड–ए.8.1.10.2 में** जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में 5720 कॉल आबंटित की गयी हैं जिसके 25 प्रतिशत हेतु **रू0–42.90 लाख** की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक–1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।
- निजी क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलॉजिस्ट विशेषज्ञों को बुलाने के लिये वर्ष 2016–17 के लिये **एफ0एम0आर0 कोड–ए.8.1.10.3** में जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में 2860 कॉल आबंटित की गयी हैं जिसके 25 प्रतिशत हेतु **रू0–32.18 लाख** की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक–1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।
- निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये एफ0एम0आर0 कोड–ए.8.1.10.4 में जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में निश्चेतक की 5720 कॉल आबंटित की गयी हैं जिसके 25 प्रतिशत हेतु **रू0–42.90 लाख** की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक–1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।
- उपलब्ध करायी जा रही धनराशि की 80 प्रतिशत से अधिक का व्यय करने पर अग्रिम धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत "**विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था**" की योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचा दें।
- किसी भी दशा में ऑन कॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था प्रोत्साहन धनराशि उन एफ0आर0यू0 पर देय नहीं होगी जहाँ नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ अथवा ई0एम0ओ0सी0/एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त कुशल चिकित्सक उपलब्ध हैं।
- प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जाये, इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नामित पर्यवेक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से करने के पश्चात ही किया जाये।
- प्रत्येक माह जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की इस प्रोत्साहन धनराशि के आबंटन की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र **(संलग्नक–2)** पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायेंगे एवं नियमित रूप से राज्य स्तर पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करेंगे। यह रिपोर्ट ई–मेल upnhmfru@gmail.com पर प्रेषित की जाये।
- किसी भी विशेषज्ञ को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाय।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या–एन.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / एफ.आर.यू. / 84डी–वॉ–2 / 2016–17तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
3 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका / अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय / जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
7 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8 गार्ड फाइल।

(डा0 नीरा जैन)
महाप्रबंधक मातृ स्वा0

Annexure 2

Performance based incentive for Operationalization of FRUs- Reporting for the month/ ...., YY

Sl.No.	Division	District	Name of the Facility	Type of the Facility (DWH, DCH ,CHC-FRU)	Total No. of LSCS at the facility in the reporting month	No. of C-sections performed by on call specialistsin the reporting month	Availability of Specialists Regular or contractual (No.)			Availability of EMOC/LSAS (No.)		For All Districts				
												No. of C-sections at FRUs done by On call specialists	On call for Govt specialists		On call for Pvt. Specialists	
							Gynae	Surg	Anaesth	EMOC	LSAS		Total incentive paid to On call Gyn/Surg from Govt. Sector @ Rs.2500/- per call ± Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Anaesth. from Govt. Sector @ Rs.2500/- per call ± Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Gynecologist from private Sector @ Rs.4000/- per call ± Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Anesthetic from private Sector @ Rs.2500/- per call ± Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.

Specialist On Call Budget Proposal for year 2016-17- FMR A.8.1.10

Sno	District	District Type	Proposed No. of FRUs	Govt Specialists	Budget for CS @3000.00	Budget Release 25% Of District	Private Gyne/Surgeon	Budget for CS @4500.00	Budget Release 25% Of District	Private Anesth	Budget for CS @3000.00	Budget Release 25% Of District	Total Budget proosed to be released for on call Specialists in lakh Rs (7+10+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	FMR				A.8.1.10.2			A.8.1.10.3			A.8.1.10.4		
1	Agra	Non-HPD	5	100	3.00	0.75	50	2.25	0.56	100	3.00	0.75	2.06
2	Mathura	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
3	Mainpuri	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
4	Firozabad	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
5	Aligarh	Non-HPD	6	120	3.60	0.90	60	2.70	0.68	80	2.40	0.60	1.65
1	Etah	HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	120	3.60	0.90	2.48
7	Hathras	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	40	1.20	0.30	0.83
2	Kasganj	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	80	2.40	0.60	1.65
9	Allahabad	HPD	6	120	3.60	0.90	60	2.70	0.68	60	1.80	0.45	1.24
10	Kaushambi	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	120	3.60	0.90	2.48
11	Fatehpur	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	60	1.80	0.45	1.24
12	Pratapgarh	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
13	Azamgarh	Non-HPD	6	120	3.60	0.90	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
14	Mau	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	60	2.70	0.68	120	3.60	0.90	2.48
15	Ballia	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
16	Bareilly	HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
17	Budaun	HPD	3	60	1.80	0.45	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
18	Pilibhit	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
19	Shajahanpur	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
20	Basti	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
21	Sidharth Nagar	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
22	Sant Kabir Nagar	HPD	4	80	2.40	0.60	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
23	Banda	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
24	Chitrakoot	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
25	Hamirpur	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
26	Mahoba	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
27	Faizabad	HPD	6	120	3.60	0.90	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
28	Barabanki	HPD	6	120	3.60	0.90	60	2.70	0.68	120	3.60	0.90	2.48
29	Ambedkar Nagar	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	60	2.70	0.68	120	3.60	0.90	2.48
30	Sultanpur	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
31	Amethi	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
32	Gonda	HPD	2	40	1.20	0.30	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
33	Balrampur	HPD	4	80	2.40	0.60	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
34	Srawasti	HPD	3	60	1.80	0.45	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
35	Bahraich	HPD	4	80	2.40	0.60	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
36	Gorakhpur	Non-HPD	5	100	3.00	0.75	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
37	Deoria	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	50	2.25	0.56	100	3.00	0.75	2.06
							30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24

Sno	District	District Type	Proposed No. of FRUs	Govt Specialists	Budget for CS @3000.00	Budget Release 25% Of District	Private Gyne/Surgeon	Budget for CS @4500.00	Budget Release 25% Of District	Private Anesth	Budget for CS @3000.00	Budget Release 25% Of District	Total Budget proosed to be released for on call Specialists in lakh Rs (7+10+13)
38	Kushinagar	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
39	Maharajganj	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
40	Jhansi	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
41	Lalitpur	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
42	Jalaun	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
43	Kanpur Nagar	Non-HPD	11	220	6.60	1.65	110	4.95	1.24	220	6.60	1.65	4.54
44	Etawah	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
45	Auriya	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
46	Farrukhabad	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
47	Kanpur Dehat	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
48	Kannuj	HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
49	Lucknow	Non-HPD	23	460	13.80	3.45	230	10.35	2.59	460	13.80	3.45	9.49
50	Sitapur	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
51	Hardoi	HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
52	Unnao	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
53	Raebareli	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
54	Kheri	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
55	Merrut	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
56	Hapur	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
57	Ghaziabad	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
58	Bulandshair	Non-HPD	5	100	3.00	0.75	50	2.25	0.56	100	3.00	0.75	2.06
59	Baghpat	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
60	GB Nagar	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
61	Mirzapur	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
62	Sonebhadra	HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
63	SRN - Bhadohi	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
64	Moradabad	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
65	Sambhal	Non-HPD	2	40	1.20	0.30	20	0.90	0.23	40	1.20	0.30	0.83
66	Rampur	HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
67	Bijnor	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
68	Amroha	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
69	Saharanpur	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
70	Muzaffer Nager	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
71	Shamli	Non-HPD	1	20	0.60	0.15	10	0.45	0.11	20	0.60	0.15	0.41
72	Chandauli	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
73	Jaunpur	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
74	Ghazipur	Non-HPD	3	60	1.80	0.45	30	1.35	0.34	60	1.80	0.45	1.24
75	Varanasi	Non-HPD	4	80	2.40	0.60	40	1.80	0.45	80	2.40	0.60	1.65
GRAND TOTAL			286	5720	171.60	42.90	2860	128.70	32.18	5720	171.60	42.90	117.98